न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. मनोज तिवारी, (आर.जे.एस.)

नियमित फौजदारी प्र. संख्या : 2165/2018

सी.आई.एस.नम्बर : 2165/2018

राजस्थान राज्य

बनाम

सत्यवीर उर्फ मिथून पुत्र रामसुख मेघवाल निवासी छत्रपुरा, थाना सदर, जिला बून्दी --अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा-**8/27** एन.डी.पी.एस. एक्ट

उपस्थित:-

(1) अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

(2) श्री अनीस मोहम्मद, अधिवक्ता अभियुक्त।

:: निर्णय :: दिनांक: **07.04.2026**

1- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.03.2018 को अशोक कुमार मय हमराही जाप्ता महेश कानि. एवं रामकुमार कानि., मय अनुसंधान बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर तथा पुलिस जीप के, थाने से समय 9:43 ए.एम. पर अवैध कार्य चैकिंग एवं अवैध गुण्डा-बदमाशों की रोकथाम हेतु गश्त करते हुए बून्दी बस स्टैण्ड पहुँचा तथा वापिस कोतवाली की तरफ आ रहा था कि जीप स्टैण्ड के पास गोपाल सिंह प्लाजा चौराहा पर एक व्यक्ति पुलिस जीप व बावर्दी जाप्ता को देखकर एकदम मुड़कर शिव मन्दिर की तरफ भागने लगा तथा अपनी उपस्थिति छिपाने का प्रयास करने लगा। उक्त व्यक्ति को संदेहवश रोककर नाम-पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सत्यवीर उर्फ मिथून पुत्र रामस्वरूप मेघवाल निवासी छत्रपुरा, थाना सदर, जिला बून्दी बताया। उससे इस प्रकार भागने का कारण पूछा गया तो उसने कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया। अभियोजन कथनानुसार उसके पास किसी संदिग्ध/मादक वस्तु की शंका होने पर महेश कानि. को स्वतंत्र गवाहों की तलबी हेतु लिखित हुक्मनामा देकर भेजा गया, किन्तु कोई भी व्यक्ति कानूनी पेचीदगियों के कारण स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। इस पर जाप्ता में से महेश कानि. एवं रामकुमार कानि. को गवाह मामूर किया गया। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त से पूछा गया कि वह अपनी तलाशी अशोक कुमार एस.आई. से या किसी राजपत्रित अधिकारी से दिलवाना चाहता है,

जिस पर उसने अशोक कुमार से ही तलाशी दिलवाने की सहमति दी। इसके पश्चात जाप्ता की आपसी तलाशी लेकर अभियुक्त की तलाशी ली गई तो उसकी पेन्ट की जेब से 20 कागज की पुड़ियां बरामद होना बताया गया। उक्त पुड़ियों को खोलकर देखने पर उनमें मटमैले-भूरे रंग का पाउडरनुमा पदार्थ पाया गया, जिसे पुलिस ने अपने अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ स्मैक होना बताया। अभियुक्त से उक्त पदार्थ रखने का लाइसेंस/अनुज्ञा-पत्र मांगा गया तो उसके पास नहीं होना बताया गया। मौके पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन करने पर 20 कागज की पुड़ियों सहित कुल वजन 5 ग्राम 220 मिलीग्राम, शुद्ध स्मैक का वजन 3 ग्राम तथा कागज बारदाना का वजन 2 ग्राम 220 मिलीग्राम होना बताया गया। शुद्ध स्मैक में से 1 ग्राम नमूना निकालकर प्लास्टिक की थैली में रखकर फिर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील-मोहर कर मार्क ‘ए’ दिया गया तथा शेष बची स्मैक व बारदाना 4 ग्राम 220 मिलीग्राम मय 20 कागज पुड़िया को प्लास्टिक की थैली में रखकर फिर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील-मोहर कर मार्क ‘बी’ दिया गया। अभियुक्त सत्यवीर उर्फ मिथून को पृथक से गिरफ्तार किया गया, फर्द जब्ती तैयार की गई, फर्द गिरफ्तारी बनाई गई और नमूना सील अंकित की गई। तत्पश्चात थाना कोतवाली बून्दी में मुकदमा नम्बर 89/2018 धारा 8/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त सत्यवीर उर्फ मिथून के विरुद्ध धारा 8/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा बहस आरोप सुनकर अभियुक्त को धारा 8/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुन-समझकर अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण चाहा।

2- अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने हेतु पी.डब्ल्यू.-1 अशोक कुमार, पी.डब्ल्यू.-2 रामकुमार, पी.डब्ल्यू.-3 राम महावीर प्रसाद, पी.डब्ल्यू.-4 मनोज कुमार, पी.डब्ल्यू.-5 महेश कुमार एवं पी.डब्ल्यू.-6 रामनाथ सिंह को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में रवानगी रपट रोजनामचा की प्रति प्रदर्श पी-1, स्वतंत्र गवाहों की तलबी हेतु हुक्मनामा एवं

उसका उत्तर प्रदर्श पी-2, पुलिसकर्मियों की गवाह बनने की सहमति पत्र प्रदर्श पी-3, तलाशी सहमति पत्र/धारा 50 संबंधी पत्र प्रदर्श पी-4, फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम प्रदर्श पी-6, चाकशुदा एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-7, नक्शा मौका प्रदर्श पी-8, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-9/पी-9 ए, एफ.एस.एल. हेतु रवानगी रपट प्रदर्श पी-10, एफ.एस.एल. जमा रसीद प्रदर्श पी-11, एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-12, एस.एच.ओ. द्वारा एस.पी. को लिखा गया पत्र प्रदर्श पी-13, वापसी रोजनामचा प्रति प्रदर्श पी-14, धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना प्रदर्श पी-15, एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी-16 तथा अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-17 को प्रदर्शित कराया गया।

3- अभियुक्त को अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों के स्पष्टीकरण हेतु उसके कथन अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये, जिनमें अभियुक्त ने अभियोजन गवाहों के बयान को गलत होना, स्वयं को निर्दोष होना कथन करते हुए कहा कि उसे झूठा फँसाया गया है। अभियुक्त ने कोई सफाई साक्ष्य पेश नहीं करनी चाही तथा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

4- बहस अभियुक्त पक्षकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होकर सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं, जिनके बयानों में गंभीर विरोधाभास हैं। अभियुक्त से कोई वैधानिक एवं विश्वसनीय जब्ती सिद्ध नहीं हुई है। सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन या बाद में थाने पर बैठकर कागजी रूप से तैयार की गई प्रतीत होती है। घटनास्थल सार्वजनिक, बहता हुआ रोड है, जहाँ दुकानें, टैक्सी स्टैण्ड, मंदिर, न्यायालय परिसर एवं अन्य कार्यालय पास में हैं, फिर भी किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया। जिन व्यक्तियों को कथित रूप से स्वतंत्र गवाह बनने हेतु कहा गया, उनके नाम तक नहीं लिखे गये। धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट की विधिवत पालना नहीं की गई। नोटिस और सहमति कागजी औपचारिकता मात्र है। सैम्पल, सील, नष्टीकरण, नक्शा मौका तथा गवाहों के बयान लेने की समय-रेखा स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण कार्यवाही पुलिस द्वारा मिथ्या रूप से तैयार की गई

होना संभावित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5- इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी द्वारा अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित बताते हुए तर्क दिया गया है कि अभियोजन कहानी का समर्थन अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से पूर्णरूप से होता है। पी.डब्ल्यू.-1 अशोक कुमार, पी.डब्ल्यू.-2 रामकुमार तथा पी.डब्ल्यू.-5 महेश कुमार ने बरामदगी, वजन, नमूना, फर्द जब्ती एवं गिरफ्तारी को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है। पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा मालखाना में जमा होना सिद्ध किया गया है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट से पदार्थ मादक पदार्थ होना प्रमाणित है। गवाहों के बयान आपस में मूल तथ्य पर संगत हैं। स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने मात्र से अभियोजन असफल नहीं हो जाता। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

6- उभय पक्षों को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट संदेह से परे साबित है?

7- उपरोक्त बिन्दु को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है। इस संबंध में प्रकरण का मुख्य एवं प्रथम गवाह पी.डब्ल्यू.-1 अशोक कुमार है, जो कि कथित बरामदगी अधिकारी भी है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 17.03.2018 को वह थाना कोतवाली बून्दी में एस.आई. पद पर पदस्थापित था तथा थाने का भारसाधक भी वही था। वह रामकुमार एवं महेश कानि. के साथ अनुसंधान बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर व सरकारी जीप लेकर समय 9:43 ए.एम. पर गश्त हेतु रवाना हुआ था। गोपाल सिंह प्लाजा के पास एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागा, उसे रोका गया, नाम पूछने पर सत्यवीर उर्फ मिथून होना बताया, स्वतंत्र गवाह बुलाने हेतु महेश को भेजा, कोई गवाह नहीं मिलने पर महेश एवं रामकुमार को ही गवाह बनाया, अभियुक्त से तलाशी बाबत सहमति ली, उसकी पेन्ट की दाहिनी जेब से 20 सफेद कागज की पुड़ियां बरामद हुई, उनमें मटमैले-भूरे रंग का पाउडरनुमा पदार्थ था, जिसे उसने अपने अनुभव

के आधार पर स्मैक बताया, अभियुक्त के पास कोई अनुज्ञा-पत्र नहीं था, कुल वजन 5 ग्राम 220 मिलीग्राम, शुद्ध स्मैक 3 ग्राम तथा पुड़ियों का वजन 2 ग्राम 220 मिलीग्राम निकला, 1 ग्राम सैम्पल निकालकर मार्क 'ए' तथा शेष सामग्री को मार्क 'बी' पैकेट में सील किया गया, फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5 एवं फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-6 तैयार की गई, बाद में मुकदमा दर्ज किया गया, धारा 57 की सूचना भिजवाई गई और तफ्तीश रामनाथ सिंह को सौंपी गई। किन्तु जिरह में इस गवाह ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल बहता हुआ रोड है, टैक्सी स्टैण्ड से मंदिर 15-20 कदम दूर है, वहाँ लोग आते-जाते थे, उसने स्वयं राह चलते व्यक्तियों को गवाह बनने हेतु नहीं रोका, बल्कि केवल महेश को भेजा, महेश ने किन-किन व्यक्तियों को कहा इसका कोई उल्लेख उसके उत्तर में नहीं है, नक्शा मौका के लिए भी कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया, धारा 50 नोटिस में "सहमति देता हूँ" लिखा हुआ है, तलाशी सहमति पत्र तथा गिरफ्तारी पत्र उसने अपने लैपटॉप से मौके पर प्रिन्ट किये, तथा शेष कागजी पुड़ियां, स्मैक व बारदाना को एक साथ सील किया गया। इस प्रकार यद्यपि पी.डब्ल्यू.-1 मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी का समर्थन करता है, किन्तु उसकी जिरह से स्वतंत्र गवाहों के अभाव, धारा 50 की प्रक्रिया, दस्तावेजों की मौके पर तैयारी, तथा बरामद माल की पृथक-पृथक सुरक्षित प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण शंकाएँ उत्पन्न होती हैं।

8- प्रकरण का अगला महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू.-2 रामकुमार है, जो कथित बरामदगी का पुलिस गवाह है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में लगभग वही कथन किया जो पी.डब्ल्यू.-1 ने किया था। उसने कहा कि वह अशोक कुमार एवं महेश के साथ 9:43 ए.एम. पर रवाना हुआ, गोपाल सिंह प्लाजा के पास अभियुक्त पुलिस को देखकर भागा, उसे रोका गया, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला, उसे एवं महेश को गवाह बनाया गया, अभियुक्त की पेन्ट की दाहिनी जेब से 20 सफेद कागज की पुड़ियां बरामद हुईं, जिनमें मटमैले-भूरे रंग का पाउडरनुमा पदार्थ था, जिसे स्मैक माना गया, कुल वजन 5 ग्राम 220 मिलीग्राम, शुद्ध स्मैक 3 ग्राम और पुड़ियों का वजन 2 ग्राम 220 मिलीग्राम होना बताया गया, 1 ग्राम सैम्पल लेकर मार्क 'ए' तथा शेष सामग्री को मार्क 'बी' में सील किया गया, फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5 एवं फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं और नक्शा मौका प्रदर्श

पी-8 भी उसकी उपस्थिति में बना। किन्तु जिरह में इस गवाह ने महत्वपूर्ण विरोधाभासी कथन किये। उसने पहले कहा कि वे घटनास्थल पर 12 बजे पहुँचे, फिर कहा कि 12 बजे से पहले पहुँच गये थे। उसने कहा कि अभियुक्त को सबसे पहले किसने पकड़ा, यह उसे याद नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल बहता हुआ रोड है, आसपास दुकानें बनी हुई हैं तथा लोग आते-जाते थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसने कहा कि दफा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया था या नहीं, यह उसे पता नहीं है। यह कथन बरामदगी की मूल वैधानिक प्रक्रिया को लेकर अभियोजन पर गंभीर प्रभाव डालता है, क्योंकि यदि कथित प्रत्यक्षदर्शी गवाह को ही धारा 50 नोटिस दिए जाने का ज्ञान नहीं है तो उक्त प्रक्रिया की विश्वसनीयता कमजोर होती है। इसी प्रकार उसने सैम्पल की संख्या के संबंध में पहले अनिश्चितता व्यक्त की और बाद में कहा कि दो सैम्पल लिये गये जिनमें एक कंट्रोल सैम्पल शामिल था। उसने सील किसकी थी यह भी नहीं बताया तथा कहा कि नक्शा मौका दूसरे दिन बनाया गया। उसके बयान में समय, सैम्पल और प्रक्रिया के संबंध में जो असंगतियाँ हैं, वे साधारण विस्मृति मात्र न होकर अभियोजन कहानी की शुद्धता पर प्रश्न उत्पन्न करती हैं।

9- प्रकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू.-5 महेश कुमार है, जिसे स्वतंत्र गवाह लाने हेतु भेजा जाना बताया गया तथा बाद में स्वयं पुलिस गवाह बनाया गया। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि दिनांक 17.03.2018 को वह अशोक कुमार एवं रामकुमार के साथ गश्त पर गया था। गोपाल सिंह प्लाजा के पास अभियुक्त पुलिस को देखकर भागा। उसे स्वतंत्र गवाहों की तलबी हेतु भेजा गया। वह लौटकर आया और उसने लिखित रूप में सूचित किया कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। तत्पश्चात उसे एवं रामकुमार को गवाह बनाया गया। उसके अनुसार अभियुक्त की पेन्ट की दाहिनी जेब से 20 कागज की पुड़ियां मिलीं, उनमें मटमैला-भूरा पाउडरनुमा पदार्थ था, जिसे देखकर व सूंघकर स्मैक माना गया, कुल वजन 5 ग्राम 220 मिलीग्राम, शुद्ध स्मैक लगभग 3 ग्राम तथा बारदाना 2 ग्राम 220 मिलीग्राम था, 1 ग्राम सैम्पल लेकर मार्क ‘ए’ तथा शेष सामग्री को मार्क ‘बी’ पैकेट में रखा गया, फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5 एवं फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं और

अगले दिन नक्शा मौका प्रदर्श पी-8 उसकी उपस्थिति में बनाया गया। किन्तु जिरह में इस गवाह ने अनेक महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकार किये। उसने कहा कि घटनास्थल अदालत से लगभग 100-200 मीटर दूरी पर है, वहीं जज, मजिस्ट्रेट, एस.डी.एम., डिप्टी कलेक्टर, ए.डी.एम., सी.ओ. आदि के कार्यालय हैं, फिर भी वह स्वतंत्र गवाह बुलाने के लिए कोर्ट परिसर के भीतर नहीं गया। उसने स्वीकार किया कि वह किन-किन व्यक्तियों से गवाह बनने हेतु मिला, उनके नाम उसे याद नहीं हैं और उसने अपने उत्तर में भी उनके नाम अंकित नहीं किये। उसने यह भी स्वीकार किया कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसने कहा कि घटनास्थल बहता हुआ रोड है, टैक्सी स्टैण्ड व दुकानें बनी हुई हैं और कार्यवाही के दौरान लोग आते-जाते रहे। उसने स्वीकार किया कि 20 पुड़ियों को अलग-अलग नहीं तौला गया बल्कि एक साथ तौला गया। अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से उसने कहा कि उसने स्वयं कभी स्मैक काम में नहीं ली और एस.आई. साहब के कहने पर ही उसने पदार्थ को स्मैक माना। इससे पदार्थ की मौके पर स्वतंत्र पहचान पर प्रश्न उत्पन्न होता है। इसी प्रकार उसने कहा कि धारा 50 का नोटिस मुलजिम को तब दिया गया जब वह गवाह ढूँढकर वापस आ गया था; उसके बयान दूसरे दिन लिये गये; नक्शा मौका भी दूसरे दिन सुबह साढ़े 10 बजे बनाया गया; सील किसकी थी यह वह नहीं बता सका; सील नष्टीकरण पर उसके हस्ताक्षर नहीं करवाये गये। इस गवाह की जिरह अभियोजन की प्रक्रिया को और अधिक संदिग्ध बना देती है।

10- अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.-3 महावीर प्रसाद ने अपने बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 17.03.2018 को थाना कोतवाली बून्दी में मालखाना इंचार्ज था। उस दिन उसके पास दो सीलबंद पैकेट मार्क ‘ए’ एवं मार्क ‘बी’ जमा करवाये गये। मार्क ‘ए’ में 1 ग्राम शुद्ध स्मैक सैम्पल तथा मार्क ‘बी’ में 4.220 मिलीग्राम मय बारदाना स्मैक होना फर्द जब्ती के अनुसार बताया गया। उसने उक्त माल को मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 124/2018 में इन्द्राज कर जमा मालखाना किया। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी-9/पी-9 ए है। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि उसे आज यह याद नहीं कि माल उसे कितने बजे संभलाया गया था। उसने यह भी कहा कि जप्तशुदा माल पर इंचार्ज थाना अशोक

जी की मोहर लगी हुई थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से उसने स्वीकार किया कि जप्तशुदा माल न्यायालय में हाजिर नहीं है। यह कथन माल की शृंखला के परीक्षण में महत्त्व रखता है, क्योंकि जब संपूर्ण मामला पुलिस बरामदगी पर आधारित हो, तब जप्त माल का न्यायालय में प्रस्तुत न होना अभियोजन की कड़ी को मजबूत नहीं करता।

11- अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.-4 मनोज कुमार ने अपने बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 10.04.2018 को थाना कोतवाली बून्दी में कानि. पद पर पदस्थापित था। मालखाना इंचार्ज ने एक सीलबंद पैकेट मय एस.पी. कार्यालय के पत्र के उसे एफ.एस.एल. में जमा कराने हेतु दिया था। वह एस.पी. कार्यालय गया, वहाँ से अग्रेषण पत्र जारी करवाया, फिर दिनांक 11.04.2018 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर पहुँचकर सीलबंद पैकेट व अग्रेषण पत्र जमा कराया और जमा रसीद प्राप्त कर वापस आकर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। उसके रवानगी की नकल रपट प्रदर्श पी-10, जमा रसीद प्रदर्श पी-11, एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-12, एस.एच.ओ. का पत्र प्रदर्श पी-13 और वापसी रपट प्रदर्श पी-14 है। जिरह में इस गवाह ने स्वीकार किया कि पैकेट उसे सीलबंद ही दिया गया था और उसने पैकेट खोलकर नहीं देखा था। उसे यह नहीं पता था कि पैकेट के अंदर क्या है। वह माल को शाम को लेकर गया और अगले दिन सुबह जमा कराया। वह बस से गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रसीद में समय का कोई अंकन नहीं है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य केवल पैकेट के एफ.एस.एल. में जमा होने तक सीमित है, परन्तु उससे यह अपने-आप सिद्ध नहीं होता कि जो पैकेट एफ.एस.एल. पहुँचा वही विधिवत अभियुक्त से बरामद हुआ था।

12- प्रकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू.-6 रामनाथ सिंह है, जो अनुसंधान अधिकारी है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि दिनांक 17.03.2018 को वह थाना कोतवाली बून्दी में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उसी दिन अशोक कुमार एस.आई. मुलजिम एवं माल सहित उसके समक्ष उपस्थित हुआ। उसने फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5 पर कार्यवाही पुलिस अंकित कर अनुसंधान प्रारम्भ किया। दौराने अनुसंधान उसने गवाह अशोक कुमार, महेश, रामकुमार, महावीर प्रसाद तथा मनोज कुमार के बयान लिये। उसने

अशोक कुमार की निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-8 बनाया। उसने धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना प्रदर्श पी-15 भेजी। मार्क 'ए' पैकेट को एफ.एस.एल. हेतु भेजा गया, जिसका अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-12 एवं प्रदर्श पी-13 तथा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-11 है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी-16 है। रोजनामचा की प्रतियां प्रदर्श पी-1, प्रदर्श पी-10 और प्रदर्श पी-14 तथा मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी-9 ए है। उसने कहा कि समस्त अनुसंधान से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिरह में इस गवाह ने स्वीकार किया कि उसने अनुसंधान दिनांक 17.03.2018 को ही प्रारम्भ किया था और गवाहों के बयान भी उसी दिन थाने पर लिये गये थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल सार्वजनिक रोड है और मौके पर पुलिस कर्मचारियों के अलावा कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसने यह स्वीकार किया कि धारा 57 की सूचना पर समय अंकित नहीं है। उसने यह भी कहा कि वही गवाहों के बयान लेने, नक्शा मौका बनाने, माल को एफ.एस.एल. भेजने और चार्जशीट पेश करने वाला अधिकारी है। इससे यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण अनुसंधान एक ही अधिकारी द्वारा किया गया और स्वतंत्र पुष्टिकरण का अभाव रहा।

13- इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में कथित बरामदगी के मुख्य पुलिस गवाह पी.डब्ल्यू.-1 अशोक कुमार, पी.डब्ल्यू.-2 रामकुमार एवं पी.डब्ल्यू.-5 महेश कुमार हैं। यद्यपि इन गवाहों ने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी का समर्थन किया है, किन्तु इनकी जिरह से अनेक गंभीर विरोधाभास, अस्पष्टताएँ एवं संदेहास्पद परिस्थितियाँ सामने आती हैं। पी.डब्ल्यू.-1 कहता है कि संपूर्ण कार्यवाही लगभग एक घण्टा चली, जबकि पी.डब्ल्यू.-2 डेढ़-दो घण्टे का समय बताता है और पी.डब्ल्यू.-5 भी समय-रेखा एवं अगली सुबह नक्शा मौका बनने की बात करता है। पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-5 ने नक्शा मौका दूसरे दिन बनाया जाना कहा, जबकि पी.डब्ल्यू.-6 ने कहा कि उसने उसी दिन अनुसंधान प्रारम्भ कर बयान लिये। इस प्रकार घटनास्थल पर की गई कार्यवाही, बयानों की तिथि, नक्शा मौका की तैयारी तथा प्रक्रिया की समय-रेखा को लेकर अभियोजन गवाहों में स्थिरता नहीं है। एन.डी.पी.एस. जैसे कठोर दण्ड

वाले प्रकरण में ऐसी असंगतियों को तुच्छ नहीं माना जा सकता।

14- सभी कथित बरामदगी गवाहों ने अभियुक्त को केवल 'संदेह' के आधार पर रोका जाना बताया है। यह अवश्य कहा गया है कि अभियुक्त पुलिस को देखकर मुड़कर भागने लगा, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त संदेह इतना प्रबल किस आधार पर था कि तत्काल वैधानिक तलाशी कार्यवाही की गई। अभियोजन का अपना कथन है कि कोई मुखबिर सूचना नहीं थी। अभियुक्त का मात्र पुलिस को देखकर दिशा बदलना अथवा भागना संदेह उत्पन्न कर सकता है, किन्तु जहाँ आगे की संपूर्ण कार्यवाही कठोर दण्ड वाले विशेष अधिनियम के अधीन है, वहाँ संदेह की प्रकृति, तलाशी की वास्तविक आवश्यकता, और अपनाई गई प्रक्रिया का कठोर परीक्षण आवश्यक है। यहाँ उक्त परीक्षण में अभियोजन की कहानी निर्भीक रूप से विश्वसनीय नहीं बन पाती।

15- बचाव पक्ष का यह तर्क कि घटनास्थल सार्वजनिक एवं व्यस्त स्थान था, पत्रावली से पर्याप्त समर्थन प्राप्त करता है। पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-5 सभी ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल बहता हुआ रोड है, वहाँ लोग आते-जाते थे, टैक्सी स्टैण्ड व दुकानें बनी हुई हैं। पी.डब्ल्यू.-5 ने यह भी कहा कि अदालत परिसर तथा अनेक शासकीय कार्यालय समीप हैं। ऐसी स्थिति में यदि वास्तव में मौके पर बरामदगी कार्यवाही की जा रही थी तो स्वतंत्र गवाहों को सम्मिलित किये जाने की अपेक्षा स्वाभाविक थी। अभियोजन का कथन है कि महेश कानि. को भेजा गया, परन्तु किस-किस व्यक्ति से कहा गया, उनके नाम क्या थे, उनका पता क्या था, उन्होंने मना क्यों किया, इसका कोई विश्वसनीय विवरण नहीं दिया गया। पी.डब्ल्यू.-5 ने साफ कहा कि उसने उन व्यक्तियों के नाम अपने उत्तर में अंकित नहीं किये। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही की गई। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र गवाह न मिलने का स्पष्टीकरण कृत्रिम एवं अपूर्ण प्रतीत होता है। प्रकरण में गवाहों के कथनों में जो विरोधाभास हैं, उन्हें स्वतंत्र गवाह स्पष्ट कर सकते थे, किन्तु स्वतंत्र गवाह न होने से कथित बरामदगी पर संदेह और प्रबल हो जाता है।

16- धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट की पालना के संबंध में भी अभियोजन का मामला संदेह से परे नहीं है। अभियोजन स्वयं कहता है कि

बरामदगी अभियुक्त की पेन्ट की जेब से हुई। ऐसी स्थिति में तलाशी से पूर्व अभियुक्त को वास्तविक, स्पष्ट और विधिसम्मत विकल्प दिया जाना आवश्यक था। पी.डब्ल्यू.-1 ने यद्यपि प्रदर्श पी-4 के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया कि अभियुक्त ने उससे तलाशी देने की सहमति दी, किन्तु जिरह में उसने स्वीकार किया कि नोटिस में "सहमति देता हूँ" लिखा हुआ है। पी.डब्ल्यू.-2 ने कहा कि उसे यह भी पता नहीं कि धारा 50 का नोटिस दिया गया था या नहीं। पी.डब्ल्यू.-5 ने कहा कि धारा 50 का नोटिस तब दिया गया जब वह गवाह ढूँढकर लौट आया था। इससे यह संदेह प्रबल होता है कि धारा 50 की कार्यवाही वैधानिक अधिकार की वास्तविक जानकारी देकर पूर्ववर्ती रूप से नहीं, बल्कि कागजी औपचारिकता के रूप में की गई हो। जब विशेष अधिनियम के वैधानिक सुरक्षा प्रावधान के पालन पर ही गंभीर संदेह हो, तब न्यायालय अभियोजन कहानी को संदेह से परे नहीं मान सकता।

17- सैम्पल, वजन, सील एवं नष्टीकरण की प्रक्रिया भी अभियोजन द्वारा स्पष्ट और निर्बाध रूप से सिद्ध नहीं की गई है। पी.डब्ल्यू.-1 कहता है कि शुद्ध स्मैक 3 ग्राम थी और उसमें से 1 ग्राम सैम्पल लिया गया। पी.डब्ल्यू.-2 पहले सैम्पल के संबंध में अनिश्चितता व्यक्त करता है, फिर दो सैम्पल लिये जाना कहता है। पी.डब्ल्यू.-5 स्वीकार करता है कि 20 पुड़ियों को अलग-अलग न तौलकर एक साथ तौला गया। पी.डब्ल्यू.-5 यह भी कहता है कि उसने स्मैक कभी काम में नहीं ली, उसने केवल एस.आई. के कहने पर पदार्थ को स्मैक माना। सील किसकी थी, इस पर पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-5 स्पष्ट नहीं हैं। पी.डब्ल्यू.-5 कहता है कि सील नष्टीकरण पर उसके हस्ताक्षर नहीं करवाये गये। यह समस्त परिस्थितियाँ सीलिंग और सैम्पलिंग की शुचिता को संदेहमुक्त नहीं छोड़तीं। एन.डी.पी.एस. प्रकरणों में यही कड़ी आगे एफ.एस.एल. रिपोर्ट से अपराध सिद्ध करने की नींव होती है। यदि यही कड़ी संदिग्ध हो जाए, तो केवल प्रयोगशाला रिपोर्ट से अभियोजन की कमियाँ दूर नहीं होतीं।

18- प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.-6 रामनाथ सिंह ने सम्पूर्ण अनुसंधान किया, गवाहों के बयान लिये, नक्शा मौका बनाया, धारा 57 की सूचना भेजी, माल एफ.एस.एल. भेजा और आरोप पत्र पेश किया। स्वतंत्र

पुष्टिकरण का अभाव होने के साथ-साथ उसके कथन और पी.डब्ल्यू.-2 तथा पी.डब्ल्यू.-5 के कथनों में समय-रेखा का विरोध है। पी.डब्ल्यू.-6 कहता है कि बयान उसी दिन लिये गये, जबकि पी.डब्ल्यू.-5 कहता है कि उसके बयान दूसरे दिन लिये गये। पी.डब्ल्यू.-2 एवं पी.डब्ल्यू.-5 नक्शा मौका दूसरे दिन बना होना कहते हैं। धारा 57 की सूचना पर समय अंकित नहीं है। मालखाना इंचार्ज पी.डब्ल्यू.-3 माल जमा होने का समय नहीं बता सका और माल न्यायालय में भी प्रस्तुत नहीं है। पी.डब्ल्यू.-4 की साक्ष्य केवल सीलबंद पैकेट को एफ.एस.एल. ले जाने तक सीमित है। इस प्रकार सम्पूर्ण श्रृंखला—मौके की बरामदगी से लेकर मालखाना, वहाँ से एफ.एस.एल. और फिर न्यायालय—एकदम निर्विवाद एवं संदेह से परे स्थापित नहीं हो पाई है।

19- इस प्रकार न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त के कब्जे से कथित मादक पदार्थ की बरामदगी वैधानिक, निष्पक्ष एवं संदेह से परे ढंग से हुई थी। प्रकरण में स्वतंत्र गवाहों का अभाव, धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट की संदिग्ध पालना, सार्वजनिक स्थान पर भी स्वतंत्र व्यक्तियों के नाम तक अंकित न करना, गवाहों के बयानों में समय, प्रक्रिया, सैम्पल एवं नक्शा मौका को लेकर विरोधाभास, सीलिंग प्रक्रिया की अस्पष्टता, तथा माल की श्रृंखला में अपूर्णता—ये सभी परिस्थितियाँ अभियोजन के मामले को गंभीर रूप से संदिग्ध बनाती हैं। फौजदारी न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि अभियोजन को अपराध संदेह से परे सिद्ध करना होता है। यदि उचित एवं वास्तविक संदेह शेष रह जाए तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

20- परिणामस्वरूप अभियुक्त सत्यवीर उर्फ मिथून पुत्र रामसुख मेघवाल निवासी छत्रपुरा, थाना सदर, जिला बून्दी को अपराध अन्तर्गत धारा

8/27 एन.डी.पी.एस. एक्ट में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

अभियुक्त को धारा 437 ए दं.प्र.सं. के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् छः माह की अवधि के लिए दस हजार रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत करने बाबत ओदशित किया जाता है।

(डॉ. मनोज तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)

21- निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)